कार्यालयः—अंचल अधिकारी लावालौंग,चतरा।

(Anchal Lawalong - (E-Mail ID:-colawalong000@gmail.com)

आदेश	आदेश फलक	अभ्युक्ति
1	2	3
06/3/19	अभिलेख उपस्थापित किया गया। यह अभिलेख प्रथम पक्ष श्री बासुदेव ठाकुर पिता जागेशवर ठाकुर साकिन पारामातु द्वितिय पक्ष श्री प्रितम ठाकुर पिता हरवंश ठाकुर साकिन काल्यणपुर प्रश्नगत भुमि मौजा कल्यणपुर थाना लावालौग के अन्तर्गत खाता सं0 56 प्लौट सं0 192 रकवा 0.46 ए0 प्लौट सं0 196 रकवा 0.74, प्लौट स0 320 रकवा 0.12 ए0 कुल रकवा 1.32 ए0 संबंधित हैं। प्रथम पक्ष बासुदेव ठाकुर पिता श्री जागेश्वर ठाकुर के द्वारा अपने समर्थन में दादा शुकन हजाम के नाम से सर्वे खतियानी में दर्ज भूमि के आधार पर बताते हुए विपक्ष के नाम से चल रहे जमाबंदी करते हुए खतियान के आधार पर जमाबंदी कायम कर रसीद निर्गत करने का अनुरोध किया हैं। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रश्नगत भूमि का सरकारी रसीद विपक्षी प्रितम ठाकुर के नाम से पंजी—।। के पृष्ठ सं0 51/1 पर जमाबंदी कायम होकर रसीद निर्गत होते आ रहा हैं। द्वितिय पक्ष अपने समर्थन में वर्ष 1937 का हुकुमनाम एवं अमीन का फर्द रिर्पोट की छाया प्रति तथा रसीद सं0 3869097 दिनांक—15.07.2013 एवं रसीद सं0 024733 दिनांक--01.05.2016 कि छाया प्रति रसीद सं0 837652,39791,843619 वर्ष 1963—64 कि छाया प्रति प्रस्तुत किया हैं। द्वितिय पक्ष वर्ष—1963—64 से लगातार वर्ष—2016—17 तक कि सरकारी रसीद प्रस्तुत किया गया। राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेन एवं खतियान के अवलोकनोपरांत सर्वे खतियानी लुकन हजाम पिता कैलु हजाम दर्ज हैं। आवेदक गण खतियानी रैयत का उतराधिकारी हैं। परन्तु पंजी—।। पर आवेदकगण का जमाबंदी कायम नहीं हैं। विपक्षी श्री प्रितम ठाकुर पिता श्री हरवंश ठाकुर साकिन कल्याणपुर खाता सं0 56 प्लौट सं0 192,196,320, रकवा क्रमशः 0.46,0.74 एवं 0.12 ए0 कुल रकवा 1.32 ए0 का जमाबंदी कायम हैं।	

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि पर आवेदक सिर्फ खतियानी रैयत होने का दावा करते हुए अपना हक जताना चाहते हैं। राजस्व कर्मचारी एव अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एव विभिन्न तिथियों में उभय पक्षो को सुनने तथा कागजातो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि द्वितिय पक्ष प्रतिम ठाकुर का दावा सबल प्रतित होता है। तदानुसार कर्मचारी को निर्देश दिया जाता है कि अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। अपने हक एवं हिस्सा के दावा हेतु असंतुष्ट पक्ष सक्षम न्यायलय में जा सकते हैं।

अंचल अधिकारी,
लावालौंग।

लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी,
लावालौंग।

Digitally signed by SUMIT KUMAR JHA
Date: 2024.07.21 14:38:16 +05:30
Location: fe80::edb8:ab3d:89dd:169f%12